

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 474]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 सितम्बर 2022—भाद्र 21, शक 1944

नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2022

क्रमांक 133-एफ-6-7-2009-अठारह-3.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री रामलीला (भेलसा) मेला समिति का गठन भेलसा रामलीला मेला विधान 1956 (विधान क्रमांक 21 सन् 1956) की धारा 2 की उपधारा (1), (2), (2-अ) व (3) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, "भेलसा श्रीरामलीला मेला समिति, विदिशा (म. प्र.)" में 03 वर्ष के लिये निम्नानुसार व्यक्तियों को सदस्य तथा सचिव नियुक्त करता है:—

स. क्र. (1)	नाम (2)	पदनाम (3)
1.	कलेक्टर जिला विदिशा	अध्यक्ष
2.	श्री संजय पुरोहित पुत्र भैयालाल पुरोहित	सदस्य (शासन द्वारा नामांकित)
3.	श्री नारायण प्रसाद शर्मा पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद शर्मा	सदस्य (शासन द्वारा नामांकित)
4.	—	सदस्य (नगरपालिका विदिशा द्वारा नामांकित)
5.	—	सदस्य (नगरपालिका विदिशा द्वारा नामांकित)
6.	श्री चंद किशोर मिश्र, शास्त्री	सदस्य [श्रीरामलीला सभा (रजि.) भेलसा द्वारा अनुशंसित]
7.	श्री सुरेश कुमार शर्मा, शास्त्री	सदस्य [श्रीरामलीला सभा (रजि.) भेलसा द्वारा अनुशंसित]
8.	श्री कैलाश नारायण चतुर्वेदी	सदस्य [श्रीरामलीला सभा (रजि.) भेलसा द्वारा अनुशंसित]
9.	श्री प्रेम नारायण शर्मा	सदस्य [श्रीरामलीला सभा (रजि.) भेलसा द्वारा अनुशंसित]
10.	श्री हरिशंकर अग्रवाल	सदस्य [श्रीरामलीला सभा (रजि.) भेलसा द्वारा अनुशंसित]
11.	श्री रवि चतुर्वेदी	सदस्य [श्रीरामलीला सभा (रजि.) भेलसा द्वारा अनुशंसित]
12.	डॉ. अनिल शर्मा पुत्र श्री रामकृष्ण शर्मा	सचिव (शासन द्वारा नियुक्त)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.